प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड।

पत्रांक प्रा0शि0 : सेवा–2/ 28386 /आर0टी0ई0/2014–15 दिनांक: 17 मार्च, 2015

विषय : **प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मानक से अधिक/असंगत शिक्षकों के समायोजन के सन्दर्भ में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रभारी सचिव/महानिदेशक के पत्रांक/20310/23(1)–दो/2014 दिनांक 10 मार्च, 2015 द्वारा असंगत विषय के प्रति कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान करते हुए कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत करना हैं कि वर्ष 2014 में बी0एड0 टी0ई0टी0–I उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के राज्य स्तरीय काउंसलिंग के द्वारा राज्य के प्राथमिक विद्यालयों (ग्रामीण क्षेत्र) के सहायक अध्यापकों के समस्त रिक्त पदों की पूर्ति की जा चुकी है। वर्तमान में विभिन्न स्तर पर जनपदों में स्थित राजकीय प्राथमिक व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत् मानव संशाधन की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि जनपदों के कतिपय राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 में दिये छात्र : अध्यापक मानकानुसार शिक्षक कार्यरत् नहीं है एवं इसी प्रकार कतिपय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आर0टी0ई0 मानकानुसार विषय अध्यापक कार्यरत् नहीं है।

अतः प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयों में उक्त स्थिति को देखते हुये मानक से अधिक एवं असंगत विषय में कार्यरत् अध्यापकों के समायोजन हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाए :–

(अ). राजकीय प्राथमिक विद्यालयों हेतु :–

1. सर्व प्रथम यह सुनिश्चित हो लिया जाये कि जनपद के समस्त विद्यालयों (ग्रामीण क्षेत्र) में शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 में दिये गये छात्र : अध्यापक मानकानुसार शिक्षक कार्यरत् हों।
2. तत्पश्चात् यह परीक्षण कर लें कि यदि अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय में मानकानुसार शिक्षक की आवश्यकता प्रतीत होती है तो 05 या 05 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय (न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालय से प्रारम्भ करते हुये) में कार्यरत् एक शिक्षक को अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजित किया जाये।
3. उक्त सामायोजन के बाद भी यदि छात्र : अध्यापक मानकानुसार, अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षकों की कमी प्रतीत होती है तो 10 या 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय (न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालय से प्रारम्भ करते हुये) में कार्यरत् एक शिक्षक को अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजित किया जाये।

(आ). राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु :–

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 के मानकानुसार विषय अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित की जाये।
2. शासनादेश संख्याः 195/XXIV(1)/2012/16/2006 देहरादूनः दिनांकः 28 अगस्त, 2012 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के पूर्व से रा0उ0प्रा0वि0 में कार्यरत् स0अ0/प्र0अ0 के विषयों का निर्धारण, सम्बन्धित शिक्षकों के स्नातक के विषयों के आधार पर उक्त अध्यापक सेवा नियमावली–2012 के नियम–9(ख) में अध्यापकों के विषय हेतु दी गई व्यवस्था के अनुसार, शिक्षकों के विषय निर्धारित किये जायें तथा तद्नुसार सम्बन्धित शिक्षक को भी विषय से अवगत कराया जाये।
3. उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 के अनुसार शिक्षकों के विषय निर्धारण करने के पश्चात् जनपद स्तर पर यह सुनिश्चित हो लिया जाये कि समस्त उ0प्रा0वि0 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के मानकानुसार विषय अध्यापक तैनात हों।

4. यदि किसी उ0प्रा0वि0 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष, कार्यरत् पदों में किसी विषय विशेष में, आर0टी0ई0 मानक से अधिक शिक्षक कार्यरत् हैं तो अधिसंख्य में कार्यरत् असंगत विषय अध्यापक का समायोजन आवश्यकता वाले विद्यालय में किया जाये।

उक्त बिन्दु (अ) तथा (आ) के अनुसार मानक से अधिक एवं असंगत शिक्षक के कार्यरत् होने की स्थिति में निम्नानुसार शिक्षकों का समायोजन किया जायेः–

(क) विद्यालय में कार्यरत् मानक से अधिक एवं असंगत विषयक अध्यापक के समायोजन में सर्वप्रथम 'उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली– 2013 (यथा संशोधित)' के नियम–10(1)(अ) एवं नियम–10(1) (आ) के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक प्राप्त कर चुके शिक्षक का समायोजन किया जाये।

(ख) यदि मानक से अधिक एवं असंगत विषयक अध्यापक वाले विद्यालय में कार्यरत् समस्त शिक्षक, स्थानान्तरण नियमावली–2013 (यथा संशोधित) के नियम–10(1)(अ) एवं नियम–10 (1)(आ) के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक प्राप्त कर चुके हों, तो ऐसी स्थिति में अधिक पात्रता सेवा गुणांक वाले शिक्षक का समायोजन किया जाये।

(ग) यदि मानक से अधिक एवं असंगत विषयक अध्यापक वाले विद्यालय में कार्यरत् समस्त शिक्षक, स्थानान्तरण नियमावली–2013 (यथा संशोधित) के नियम–10(1)(अ) एवं नियम–10 (1)(आ) के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक प्राप्त नहीं करते हों, तो कम सेवा गुणांक वाले शिक्षक का समायोजन किया जाये।

(घ) उक्तानुसार समायोजन करने पर जिन विद्यालयों में केवल शिक्षा मित्र कार्यरत् रह जाते हैं तो ऐसे विद्यालयों का सम्पूर्ण वित्तीय प्रभार निकटवर्ती विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठ अध्यापक को हस्तगत किया जाये।

(ङ) यदि प्राथमिक विद्यालय में मानक से अधिक कार्यरत् शिक्षकों में विकास खण्ड संवर्ग वाले शिक्षक का समायोजन करने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे शिक्षकों का समायोजन शिक्षक के वर्तमान कार्यरत् विकास खण्ड के अन्य आवश्यकता वाले विद्यालय में ही किया जाये।

(च) स्थानान्तरण नियमावली–2013 (यथा संशोधित) के नियम–10(1)(ख) के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्राप्त शिक्षकों (नियम में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत) के समायोजन में, शिक्षक को X- क्षेत्र के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति की सीमा तक, Y- क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापित करने की बाध्यता नहीं होगी।

अतः छात्र संख्या के मानकानुसार शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये मानक से अधिक एवं असंगत विषय में कार्यरत् अध्यापकों का समायोजन उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली–2013 के अनुसार शिक्षकों के सत्र 2014–15 में वार्षिक स्थानान्तरण हेतु अनुमोदित समय सारिणी में निर्धारित किये गये समयान्तर्गत आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

नोट :–

1. उक्त व्यवस्था के उपरान्त जनपद में असंगत विषय के अध्यापक रह जाने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
2. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन इस प्रकार से किया जाय कि निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के अनुसार विद्यालयों में स्वीकृत पदों की सीमा तक एक विषय का एक अध्यापक अवश्य कार्यरत रहें।
3. प्राथमिक विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षकों के समायोजन में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि 10 से अधिक छात्र संख्या वाला कोई भी विद्यालय एकल अध्यापकीय न रहें। आवश्यकतानुसार 10 से अधिक छात्र संख्या वाले एकल अध्यापक वाले विद्यालय में 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय से समायोजन किया जाय। (समायोजन न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालय से प्रारम्भ करें)

भवदीय
17/3/15

(सीमा जौनसारी)
निदेशक